भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2815

(दिनांक 10.07.2019 को उत्तर के लिए)

विदेशों के लिए एलटीसी

2815. **श्री उपेन्द्र सिंह रावतः**

श्री कौशल किशोरः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विदेशों, विशेषकर सार्क देशों के हवाई किराए में गिरावट के कारण, इन देशों के लिए यात्रा रियायत भत्ता (एलटीसी) का लाभ उठाने हेतु केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कोई योजना आरंभ करने का विचार है जिससे इन देशों से पर्यटकों को आकर्षित करने के अलावा देश के पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह

(क): जी, नहीं।

(ख): प्रश्न नहीं उठता है।

(ग): सीसीएस (एलटीसी) नियमावली, 1988 के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को केवल भारत में किसी भी स्थान पर एलटीसी यात्रा की अनुमति है।